राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary To Governor

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Telephone Office : +91-771-2331101/62 Fax : +91-771-2331104, Raj Bhavan, Chhattisgarh : 492001

क्रमांक /7519/2022/रास/यू- 6452 रायपुर, दिनांक 28/12/2023

प्रति,

01	कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	02	कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, धरमपुरा–2 बस्तर
03	कुलपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर सरगुजा	04	कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
05	कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, रायपुर नाका, दुर्ग	06	कुलपति, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
07	कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	08	कुलपति, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर
09	कुलपति, पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर	10	कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
11	कुलपति, दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	12	कुलपति, पं. दीनदयालय उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, उपरवारा, नवा रायपुर
13	कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नेवई, दुर्ग	14	कुलपति, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पुरखौती मुक्तांगन के पास, नवा रायपुर
15	कुलपति, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा–पाटन, दुर्ग		

विषयः– **छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) में कुलपति नियुक्ति संबंधी विज्ञापन को वेबसाइट में अपलोड करने विषयक।**

डॉ. सुधीर एम. बोबडे, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से कुलपति पद पर नियुक्ति के संबंध प्राप्त पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार, अनुरोध है कि कृपया छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) में कुलपति नियुक्ति हेतु राजभवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त विज्ञापन को विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

राज्यपाल के अवर सचिव
राजभवन, छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या : ई–8654/जी0एस0
दिनांक : दिसम्बर 15, 2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल,
समस्त राज्य,
भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई–8512/2023, दिनांक दिसम्बर 13, 2023 (प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

Scanned with OKEN Scanner

राजभवन, लखनऊ

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या–ई–8512/2023

दिनांक : दिसम्बर 13, 2023

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर(उ0प्र0), जोकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राजभवन की वेबसाइट **"www.upgovernor.gov.in"** पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 08.01.2024 (सोमवार) तक केवल ऑन लाइन (**On Line**) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR (U.P.)

Advt. No. E-8512 /2023 Dated : December 13, 2023

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice-Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor should send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before 08.01.2024 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

Scanned with OKEN Scanner